दिनांक 22.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 33/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बाराबंकी/थाना देवा

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 21/22.01.2025 की रात्रि थाना देवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान किसान पथ सर्विस लेन पर गढ़ी मोड़ के पास अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त लवकुश उर्फ मिथुन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लवकुश उर्फ मिथुन निवासी शेखपुर अलीपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 लाख रूपये नगद बरामद**

दिनांक 22.01.2025 को थाना तितावी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुकुन्दपुर झाल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विजय उर्फ बाजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 लाख रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तितावी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तितावी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विजय उर्फ बाजा निवासी डाटा कस्बा व थाना बरनावा जनपद हिसार हरियाणा, हाल निवासी प्रशान्त कॉलोनी कस्बा व थाना बरनावा जनपद हिसार हरियाणा।

बरामदगी

1—01 लाख रूपये नगद।

जनपद उन्नाव/थाना बांगरमऊ

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 22.01.2025 को थाना बांगरमऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आगरा एक्सप्रेस—वे पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शहनूर को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बांगरमऊ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शहनूर निवासी भटियापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव।

जनपद बरेली/थाना देवरनिया

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना से सम्बन्धित आभूषण, 02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 22.01.2025 को थाना देवरनिया व थाना भोजीपुरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेमीखेडा फाटक के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक उ0नि0 व एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रजत उर्फ उमेश 2–खेमेन्द्र घायल हो गये जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से घटना से सम्बन्धित आभूषण, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रजत उर्फ उमेश के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त खेमेन्द्र के विरूद्ध हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना देवरनिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रजत उर्फ उमेश निवासी ग्राम बिबयापुर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

2–खेमेन्द्र निवासी मियाँपुर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

बरामदगी

1–घटना से सम्बन्धित आभूषण, 02 मोबाइल फोन।

2–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद गोण्डा/थाना धानेपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 52 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 22.01.2025 को थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लखनीपुर पानी टंकी तिराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1–करन 2–अजय उर्फ भोधू 3–बब्लू 4–रामकृपाल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 52 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि 31.12.2024 को थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना धानेपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अजय के विरूद्ध जनपद गोण्डा, बहराइच के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 12 अभियोग अभियुक्त रामकृपाल के विरूद्ध जनपद गोण्डा, बहराइच के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त करन व बब्लू के विरूद्ध जनपद गोण्डा के विभिन्न थानो में चोरी आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–करन निवासी दत्तनगर विसेन थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

2–अजय उर्फ भोधू निवासी बबया रूकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

3–बब्लू निवासी बबया रूकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

4–रामकृपाल निवासी बबया रूकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

बरामदगी

1–चोरी के 52 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि।

जनपद हरदोई/थाना बेहटा गोकुल

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 ट्राली, 01 ट्रैक्टर**
- **घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन बरामद**

दिनॉकः 22.01.2025 को थाना बेहटा गोकुल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–सुशील कुमार 2–अशोक 3–अमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 ट्राली, 01 ट्रैक्टर, घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना बेहटा गोकुल क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बेहटा गोकुल पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ट्राली, ट्रैक्टर चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बेहटा गोकुल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुशील कुमार निवासी ग्राम रमुआपुर थाना टडियावां जनपद हरदोई।

2–अशोक निवासी पुष्पताली थाना टडियावां जनपद हरदोई।

3–अमित निवासी ग्राम सहरोईया थाना नैमिष जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–चोरी की 02 ट्राली, 01 ट्रैक्टर।

2–घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन।

जनपद बरेली/थाना मीरगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **712 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनॉकः 21/22.01.2025 की रात्रि थाना मीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मनकरा गुगई रोड फाटक के पास से अभियुक्त दुर्वेश को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 712 ग्राम अवैध अफीम, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना मीरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दुर्वेश निवासी ग्राम गौकुलपुर थाना बिशारतगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1—712 ग्राम अवैध अफीम।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 किलो अवैध गांजा**
- **01 कार बरामद**

दिनॉकः 21.01.2025 को थाना कोतवाली सदर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान हुसैन नगर चौराहा से 02 अभियुक्तों 1—गुड्डू 2—अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 किलो अवैध गांजा, 01 कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुड्डू निवासी पीरनगर थाना कोतवाली सदर जनपद फतेहपुर।

2—अशोक कुमार निवासी मोहल्ला शक्तिनगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1—20 किलो अवैध गांजा।

2—01 कार।

- **<u>जनपद पीलीभीत/थाना बिलसण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 53 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद पीलीभीत द्वारा थाना बिलसण्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कल्लू उर्फ गोविन्द को आजीवन कारावास व 53 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————